to raise the matter, but did not feel like reopening the matter.

Shri Kunte is very senior member of the House. He knows the procedure more than I do. Yesterday what happened was that Mr. Raghuramaiah wanted to move certain amendments. The House, accepted them and allowed him to move those amendments. The rules were not suspended exactly. So that principle cannot be applied here. The House does not want to divide. Mr. Mandal may object to it; he has already protested against it. But the House has a majority for withdrawing the Bill. So, the Ayes have it.

SHRI B. P. MANDAL: When you were putting it to vote and before you said a second time that the Ayes had it, I objected and said that the House should be divided. That is the procedure. I said it in time.

MR. CHAIRMAN: Let the Lobbies be cleared. I shall now put the motion to the vote of the House. The question is:

> "That leave be granted to Shri M. N. Reddy to withdraw his Bill,"

The motion was adopted.

The Bill was, by leave, withdrawn.

17.05 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of articles 4, 80, etc,*) by Shri Shiva Chandra Jha.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए जो विधेयक मैं ने पेश किया और उस पर जो बहस शुरू कर रहा हूं वह इस तरह से है—पहले तो आर्टिकल 4 में जहाँ यह शब्द आये हैं :

> "and the Fourth Schedule"

इनको मैं हटाना चाहता हूं

फिर उसके बाद मैं धारा 80, क्लाज (1) सब क्लाज बी० में ये शब्द जुड़वाना चाहता हूं, सब्सटीट्यूट कराना चाहता हूं :

> (b) "four representatives of each of the States and of the Union territories."

ये शब्द उसमें जोड़े जायें।

फिर धारा 80 के सब क्लाज (2) को हटाना चाहता हूं।

मेरा तीसरा संशोधन यह है कि चौथी अनुसूची को हटा दिया जाए।

मेरे संशोधन का मतलब साफ हो जायेगा यदि मैं संविधान की धारा 80 (1) बी० जो है उसको मैं पहले पढ़कर सुना दूं। उसकी जगह पर मैं क्या संशोधन करना चाहता हूं, जब उसको कहूंगा तो बात और भी साफ हो जायेगी। धारा 80 (1) बी० में जहाँ राज्य सभा के बारे में कहा गया है :

> (b) "not more than two hundred and thirty-eight representatives of the States and of the Union territories."

उसकी जगह पर मैं चाहता हूं कि इसको सब्सटीट्यूट कर दिया जाय :

> "four representatives of each of the States and of the Union territories."

यानी चार नुमाइन्दे हर राज्य और यूनियन टेरिटरीज से राज्य सभा में आयें। यह मैं संशोधन करना चाहता हूं। ऐसा जब हम कर देंगे तब फिर यह जो धारा 80 का सब क्लाज (2) है उसकी भी जरूरत नहीं रह जायेगी :

> (2) "The allocation of seats in the Council of States to be filled by representatives of the States and of the Union territories shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in the Fourth Schedule."

फिर इसकी कोई जरूरत नहीं रह जायेगी।

ऐसा करने के बाद, इसके साथ-साथ जो आर्टिकिल 4 है जिसमें कहा गया है :

[श्री शिव चन्द्र झा]

"Any law referred to in article 2 or article 3 shall contain such provisions for the amendment of the First Schedule and the Fourth Schedule.. "

जब हम ऐसा संशोधन करते हैं तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं रह जायेगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसके साथ-साथ शेड्यूल 4 को भी निकाल दिया जाये जिसमें कि टेबिल दी हुई है कि हर राज्य से कितने कितने-कितने निमाइन्दे राज्य सभा में आयेंगे। इस शेड्यूल में एक तरह से हर राज्य में कोटा दिया हुआ है, पापुलेशन के आधार पर—इसकी बहस पर मैं बाद में आऊंगा। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लीजिए, उत्तर प्रदेश से 34, बिहार से 22 सदस्य राज्य सभा में जायेंगे और मनीपुर, त्रिपुरा और पांडेचरी से एक-एक सदस्य जायेगा लेकिन इसकी जरूरत तब नहीं रह जायेगी जब कि मेरा संशोधन मान लिया जायेगा कि हर राज्य और यूनियन टेरिटरी से चार प्रतिनिधि राज्य सभा में जायेंगे।

जो संशोधन मैं रख रहा हूँ इनको तीन दृष्टिकोण से, तीन सन्दर्भ में देखना होगा। एक सन्दर्भ यह है कि इसकी पैदायश कब हुई? मतलब यह कि जब कांस्टीटुएन्ट असेम्बली बनी थी तो उसमें जो विचार हुआ था, जो चर्चा हुई थी उस वक्त क्या वजह थी कि हर राज्य से बराबरी के आधार पर नुमाइन्दगी की बात नहीं रखी गई बल्कि वह बात रखी गई जो कि इस समय संविधान में मौजूद है?

इसके ओरिजिन में हमें जाना है।

दूसरा दृष्टिकोण जिसके संदर्भ में इस संशोधन को देखना है वह यह है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में अपर हाउस में हर राज्य से बराबरी के आधार पर कहाँ तक नुमाइंदे हैं। जैसे अमरीका में सीनेट में हर राज्य के दो नुमाइन्दे हैं, आस्ट्रेलिया के अपर हाउस में 10 नुमाइंदे हर 6 प्रोविन्सेज से और स्विटजरलैंड में भी हैं। ऐसा क्यों है और क्यों नुमाइंदे बराबरी के आधार पर हैं। यह हमारा दूसरा दृष्टिकोण होगा।

तीसरा दृष्टिकोण जिसके संदर्भ में इस संशोधन को देखना है वह यह है कि हर दूसरे सदन में देश के जो और राज्य हैं उनकी बराबरी के आधार पर नुमाइंदगी हो। यह फ़ेडरल, संघीय सरकार के लिये कहाँ तक उपयुक्त है। बराबरी के आधार पर दूसरे सदन में जो प्रतिनिधित्व होता है वह संघीय सरकार को मजबूत करने के लिए या आम समाज को आगे बढ़ाने के लिए कहाँ तक फ़ायदेमन्द होता है?

पृष्ठभूमि के रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले इसी सदन में हम लोगों ने बंगाल लेजिस्लेटिव काउन्सिल अबालीशन विधेयक पास किया। अभी सदन के सामने पंजाब लेजिस्लेटिव काउन्सिल अबालीशन विधेयक है जिस पर बहस होनी है। मतलब यह है कि देश में एक लहर है कि जहाँ कहीं अपर हाउस है उसको खत्म कर दें। इसकी वजह यह है कि जनतंत्र के विकास के बाद दूसरा सदन, अपर हाउस सुपरफ्लुअस हो जाता है। जब जनता के प्रतिनिधि लोवर हाउस में आते हैं तो अपर हाउस सुपरफ्लुअस हो जाता है। मेरा संशोधन जो है उसमें मैंने साफ़ कर दिया कि दो बड़े मकसद हैं इस संशोधन के। पहला मकसद यह है कि हर राज्य भारत के बराबरी के आधार पर राज्य सभा में अपने प्रतिनिधि भेजें और जो फ़िज़ूलखर्ची है, जो हैवी रिप्रेजेन्टेशन की वजह से फ़िज़ूलखर्ची है उसको कम करें। जनतंत्र के विकास में बराबरी के दृष्टिकोण से और समाजवाद के दृष्टिकोण से हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि यदि हम समाजवाद की ओर जाना चाहते हैं तो अपर हाउस की फ़िज़ूलखर्ची को कम करें। आज भारत में अपर हाउस को खत्म करने की एक लहर चली हुई है। जब देश में बाहुल्य की अवस्था हो जायगी, वस्तुओं का बाहुल्य हो जायगा और हिन्दुस्तानी दिमागी तौर पर बढ़ जायगा और एक अवस्था आयेगी जब कि समाज और राज-

सत्ता, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा है, विदर अवे हो जायगी, तब दूसरे सदन की जरूरत नहीं होगी।

जब मैं बंगाल लेजिस्लेटिव काउन्सिल अबालीशन विधेयक पर बोल रहा था तो मैंने कहा कि राज्य सभा को हटा दिया जाय। यह मैं ही नहीं कहता बल्कि राज्य सभा के जो सदस्य हैं, जैसे श्री राज नारायण, उनका भी मत है कि राज्य सभा को खत्म कर दिया जाये। मैं कहना चाहता हूँ कि दूर भविष्य में राज्य सभा का खातमा लाजिमी हो जायेगा।

लेकिन जब तक वह अवस्था नहीं आती है, तब तक, ट्रैंजिशनल पीरियड के लिए, राज्य सभा का रखना थोड़ा जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अभी प्रतिनिधियों की जो संख्या है, उसको घटा कर हर राज्य को बराबरी के आधार पर वहाँ नुमाइन्दगी का मौका दिया जाय। इससे राज्यों में बराबरी की भावना होगी और फ़ुजूलखर्ची कम होगी। इस पृष्ठभूमि के साथ मैं अपने दोनों अमेंडमेंटों की ओर आना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सदन उन पर विचार करे।

पहला दृष्टिकोण यह है कि इसकी पैदाइश कैसे हुई। हमारे संविधान में राज्य सभा के रिप्रेजेन्टेशन के सम्बन्ध में लिखा गया है, यानी धारा 80, और अनुसूची 4। जब यह बात रक्खी गई उस वक्त कैसे बहसें हुई और किस तरह विचार हुआ और आखीर में क्यों ऐसा रास्ता अख्त्यार किया गया, जो अभी मौजूद है। कांस्टिटुएन्ट असेम्बली की बहस में दो सदस्य ऐसे थे जिन्होंने पुरजोर वकालत की कि हर राज्य का प्रतिनिधित्व बराबरी के आधार पर हो राज्य सभा में। वे दो सदस्य थे प्रो० के० टी० शाह और श्री लोकनाथ मिश्र। इन दोनों ने काफी वकालत की कि जब हम नया संविधान बनाने जा रहे हैं तो हम बराबरी का मकसद लेकर चल सकें और एक आदर्श हमारे सामने हो इसके लिए लाजिमी हो जाता है कि हम हर राज्य को जो दूसरा सदन है उसमें बराबरी के आधार पर नुमाइन्दगी का मौका दें और इसके लिए संविधान में गुंजाइश रक्खें।

प्रो० के० टी० शाह ने जो दलीलें ली वह बहुत सुन्दर थीं। मैं कांस्टिटुएन्ट असेम्बली के डिबेट में, जो कि 3 जनवरी, 1949 का वाल्यूम 7 है, के० टी० शाह के भाषण से थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं कि उनकी दलील क्या है :

> "Sir, I beg to move that clause 4 of article 67 be deleted."

यह ड्राफ्ट कांस्टिट्यूशन का आर्टिकल है, इसका ख्याल रखना होगा। उनकी मुख्य बात यह है कि :

> "I take my ground on the principle of equality among the constituent States. Whatever may be the variety or the differences amongst themselves in regard to area, population, resources or whatever other criterion you select judging from the importance of the several States, so far at any rate as you accept the principle of federal union you ought to make the States equal *inter se*. On that basis, I do not quite subscribe to the view propounded in clause 4 of the article whereby it is left to Parliament to distribute seats among the States and not provided for in the Constitution itself. I have tabled another amendment which would suggest that the States should be represented equally in the Council of States, that is, by the same number of delegates that any other State may have On that ground also this clause seems to be superfluous and I move that it may be deleted."

उनका संशोधन स्पष्ट था। उसको भी आप देखिये। प्रो० के० टी० शाह चाहते थे कि हर राज्य के जो भी प्रतिनिधि आयें, वह बराबरी के आधार पर आयें। वह यह भी चाहते थे कि राज्य सभा में हर राज्य से पांच प्रतिनिधि आयें। प्रो० के० टी० शाह उसी वाल्यूम 7 के पेज 12 से 14 में, जो कि

[श्री शिव चन्द्र झा]

3 जनवरी, 1949 की बहस है उसमें कहते हैं कि :

"That for clause 3 of article 67, the following be substituted :

'All members of the Council of States shall be elected and each constituent State shall elect five delegates by adult suffrage.'."

पांच नुमाइन्दे हर राज्य से आएं यह उनका संशोधन था। इसकी उन्होंने इस तरह से वकालत की :

"Sir, this is in consonance with the general principle I am advocating, namely, that the Legislature shall be constituted only by elected representatives, election being by whatever method you may agree to.

Secondly, that, in the Council of States, all constituent parts of the Union—call them States, units or what you like—shall be equally represented. Whereas in the lower House, or the House of the People you may have representation in accordance with number, in the Upper House or the Council of States the representation is more of the territory of the Unit, of the special interests of the Unit or region, than of the people pure and simple.

And these, also, I would suggest should be elected rather than nominated, co-opted, or chosen by any other method. The whole body should be elected ; and none but elected representatives should come there.

Next, the representatives, so far as they are representatives of the Units, should be equal in number amongst themselves—that is to say, for each State the same number be returned—so that it will bring some sense of a real Federation working, rather than of discrimination or differentiation as between the Units. On these grounds, I commend my proposition to the House."

श्री के० टी० शाह ने वकालत की कि हर राज्य से पांच प्रतिनिधि दूसरे सदन में यानी राज्य सभा में आएं।

बराबरी के आधार दूसरी बड़ी वकालत श्री लोक नाथ मिश्र ने की। उनका कहना था कि हर राज्य से तीन सदस्य आएं। उन्होंने भी बहुत अच्छी वकालत की। वह शायद आजकल राज्य सभा के सदस्य हैं...

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : वह, वह लोक नाथ मिश्र जी नहीं हैं।

श्री शिव चन्द्र झा : मुझे मालूम नहीं था। मैं माफी चाहता हूं।

उनकी बहस भी बहुत अच्छी थी। उनके जो विचार थे उनको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। यह भी मैं वाल्यूम सात में से पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ। लोक नाथ मिश्र जी ने तब कहा था :

'Shri Lokanath Misra : Sir, I beg to move :

"That in amendment No. 1378 of the List of amendments, in the propose clause (1a) of article 67, for the words 'in accordance with the provisions in that behalf contained in schedule III-B' the words 'on the basis of equal representation to each of the component States, the number of which representation shall in no case be more than three' be substituted'."

यानी वह चाहते थे कि हर राज्य से नुमाइन्दे आएं लेकिन तीन आएं। वह नाट मोर दैन थ्री चाहते थे। श्री के० टी० शाह पांच के आधार पर रिप्रिजेंटेशन चाहते थे और श्री लोक नाथ मिश्र तीन के आधार पर चाहते थे। अब उनके जो तर्क थे वे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं :

"......Since the Council of States is going to represent the States, it is but fair to the States units that these units should be dealt with as units and every unit is equally represented.

Otherwise, there is no sense in saying that the States shall be represented in the Council of States. In fact, in the United States of America and in other countries where there are second chambers, representing the interests of the States, the representation given to these units is always the same. We also know that the elected members of our Council of States will be returned by the Lower House of the State Assemblies, and if we say that the election will be in some other form, either in proportion to their population or on some other basis and yet people with the same qualification, the Council of States will serve no real purpose, except a purpose of unnecessary duplication of the House of the People. In fact, the House of the People itself will be representative of the people of the States themselves, because the States will be sending in their representatives to the House of the People on almost the same basis. Therefore, if we do not accept this principle, that of taking every States as an equal unit, and sending in their representatives to safeguard or protect their special interests, there is no sense or meaning in having a second chamber to represent the States."

"Though we have Schedule III-B, the position, I feel, should be made clearer that the Council of States will be representative of the State interests, and therefore the States, as States, and as autonomous units, must be equally represented. On this ground, I suggest that the allocation of seats to the representatives of the States in the Council of States should be on the basis of equal representation to each of the component States, the number of which representation shall in no case be more than three. Why I fix upon the figure three is this. I feel that if three members come from every State, that will be sufficient to safeguard the special interests of the States, and their special problems. After all, this is to be a sobering House, a reviewing House, a House standing for quality and the members will be exercising their right to be heard on the merits of what they say, for their sobriety and knowledge of special problems; quantity, that is, their number, is not of much moment, and I think three is just sufficient for the purpose."

श्री लोकनाथ मिश्र हर एक राज्य से तीन-तीन सदस्य रखना चाहते थे और प्रोफेसर के० टी० शाह हर एक राज्य से पांच-पांच सदस्य रखना चाहते थे। ये दोनों सज्जन राज्य सभा में स्टेट्स के रिप्रेजेन्टेशन को बराबरी के आधार पर निश्चित करने के जबर्दस्त वकील थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

आखिर में राज्य सभा में स्टेट्स के रिप्रेजेन्टेशन का फैसला यूनियन कमेटी की रपट के आधार पर हुआ, जिसको मोटे तौर पर संविधान में स्थान दे दिया गया। वह रपट श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने पेश की थी। उस रपट का मतलब यह था कि वह कमेटी इस तरफ तफसील में नहीं गई कि राज्य सभा का संगठन किस तरह का होना चाहिए, उसका क्या रूप होना चाहिए, क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन अभी बाकी है। 1949 की बात है। देशी राज्य, नेटिव स्टेट्स, मर्ज हो चुके थे और यूनियन में इनटेग्रेटिड हो चुके थे, लेकिन संविधान के बनाने वालों के दिमाग में यह बात थी कि अभी राज्यों का पुनर्गठन करना है और उस आधार पर राज्य सभा में राज्यों की नुमायंदगी के लिए रास्ता निकालना है।

MR. CHAIRMAN: The hon. Member may continue his speech on the next occasion. Now we have to take up the half-an-hour discussion.

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

EXPORT OF IRON ORE TO JAPAN

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara): While replying to Question No. 212 on the 30th July, 1969, the Minister has misled the House so far as the efforts of the MMTC to export iron ore from Daitari and Barajanda mines are concerned. I am sorry I have to say this because the Minister in his long statement has almost repeated what seems to be the version of the Japanese. Also I do not believe that the Japanese would ever have stated that so far as